



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-23092026-276419

CG-DL-W-23092026-276419

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसाप्ताहिक
WEEKLY

सं. 14]

नई दिल्ली, सितम्बर 6—सितम्बर 12, 2026, शनिवार/ भाद्र 15—भाद्र 21, 1948

No. 14]

NEW DELHI, SEPTEMBER 6—SEPTEMBER 12, 2026, SATURDAY/ BHADRA 15—BHADRA 21, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केंद्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2026

आ.अ. 107.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 2024 की अधिसूचना सं0464/ईपीएस/2024(6) के अनुसरण में ओडिशा राज्य की लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः ओडिशा राज्य के 03-सम्बलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 4 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 4 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, सम्बलपुर की रिपोर्ट दिनांक शून्य जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ओडिशा से दिनांक 31.07.2024 पत्र सं0 EC-CON-COE-0103-2024-2756 (Elec.) को प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री श्रीराम पांडे जो ओडिशा राज्य के 03-सम्बलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी है, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री श्रीराम पांडे को अपने निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/ODISHA/PC-03/2024/CEMS-IV दिनांक 04 नवंबर, 2024 जारी किया गया था; और

यतः, उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री श्रीराम पांडे को व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, सम्बलपुर को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सम्बलपुर से दिनांक 17 फरवरी, 2025 के पत्र सं0 2990/Elec के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री श्रीराम पांडे के पुत्र के द्वारा दिनांक 24 जनवरी, 2025 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सम्बलपुर ने पत्र सं0 2990/Elec. दिनांक 17 फरवरी, 2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री श्रीराम पांडे ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती/चस्पा के उपरान्त, श्री श्रीराम पांडे ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में उपबंधित किया गया है कि :-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; और
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।"

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री श्रीराम पांडे अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि ओडिशा राज्य की लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 के 03-सम्बलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री श्रीराम पांडे, स्थान-जूनुष पटना, डाकघर-कॉलेज स्क्वायर, थाना-मालगोडाउन, जिला-कटक इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. 76/OD/PC-03/2024/सी.ई.एम.एस.-IV]

मोहम्मद उमर, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 12th February, 2026

O.N. 107.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of **Odisha, 2024** was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/EPS/2024/(6) dated 29th April, 2024. And

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned elections for **03-Sambalpur** Parliamentary Constituency of **Odisha** was declared by the Returning Officer on **4th June, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **4th July, 2024**; and

WHEREAS, as per the District Election Officer, **Sambalpur, Odisha** report dated **NIL** forwarded by the Chief Electoral Officer, **Odisha** vide their **EC-CON-COE-0103-2024-2756 (Elec.)** dated **31st July, 2024**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Sriram Pandey**, a contesting candidate from **03-Sambalpur** Parliamentary Constituency of **Odisha** has failed to lodge his account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Sambalpur**, a Show-Cause notice No. **76/ODISHA/PC-03/2024/CEMS-IV**, dated **04.11.2024** was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Sriram Pandey**, for not lodging of his account of Election Expenses; and,

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Sriram Pandey**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Sambalpur** within 20 days from the date of receipt of the Notice; and

Whereas, District Election Officer, **Sambalpur** vide his letter no. **2990/Elec** dated **17.02.2025** informed that the said notice was served to his son on **24.01.2025**, and

WHEREAS, the District Election Officer, **Sambalpur** in his Supplementary Report, vide its letter no. **2990/Elec**, dated **17.02.2025** has reported that **Sh. Sriram Pandey**, has not submitted his account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Sriram Pandey**, has neither furnished any reason nor explanation to the Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”*

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Sriram Pandey** has failed to lodge his account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Sriram Pandey** resident of **At- Junush Patna, PO- College Square, PS-Mal Godown, Dist- Cuttack**, a contesting candidate from **03-Sambalpur** Parliamentary Constituency of General Election to the **Lok Sabha of Odisha, 2024**, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/OD/PC-03/2024/CEMS-IV]

MOHAMMED UMAR, Principal Secy.